

क्रम स.	भूमि प्रकार	भूमि प्रकार का विवरण	भूमि प्रकार का कोड (गाटा यूनिक कोड का 15-16 अंक)
1	1	ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे 1950 ई. के उ. प्र. ज. वि. एवं भू. व्य. अधि. की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो, खेती करता हो।	11
2	1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।	12
3	1क(क)	रिक्त	13
4	1-ख	ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के अन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो।	14
5	2	भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।	21
6	3	भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकार में हो।	31
7	4	भूमि जो उस दशा में बिना आगम के अध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरे के स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो।	41
8	4-क	उ. प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधि. अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि - (क) जो उ. प्र. जोत सी. आ. अ. के उपबन्धों के अधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो।	42
9	4-क(ख)	अन्य भूमि।	43
10	5-1	कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद)	51
11	5-2	कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम)	52
12	5-3-क	कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी के वन।	53
13	5-3-ख	कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्य प्रकार के वृक्ष, झाड़ियों के झुन्ड, झाड़ियाँ इत्यादि हों।	54
14	5-3-ग	कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ।	55
15	5-3-घ	कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ।	56
16	5-3-ङ	अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि।	57
17	5-क (क)	वन भूमि जिस पर अनु. जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु	58
18	5-क (ख)	वन भूमि जिस पर अनु. जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु	59
19	5-क (ग)	वन भूमि जिस पर अनु. जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु	60
20	6-1	अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि।	61
21	6-2	अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे, भवन और ऐसी दूसरी भूमियाँ जो अकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो।	62
22	6-3	कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट), ऐसे कब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ कर जो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो।	63
23	6-4	जो अन्य कारणों से अकृषित हो।	64
24	7	भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकार में हो।	71
25	9	भूमि के ऐसे अध्यासीन जिन्होंने खसरे के स्तम्भ 4 में उल्लिखित व्यक्ति की सम्मतिके बिना भूमि पर अधिकार कर लिया हो।	91